कार्यालय प्राचार्य
शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
फोन नं./फैक्स नं. 0788–2359688, स्वशासी प्रकोष्ठ फोन नं. : 0788–2212030
वेबसाइट : www.govtsciencecollegedurg.ac.in
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा A+ ग्रेड प्रदत्त महाविद्यालय)

दुर्ग/Durg /दिनांक / Date : 04.03.2023

स्वशासी स्नातक सेमेस्टर परीक्षा हेतु दिशा निर्देश :

1. निरंतर आंतरिक मूल्यांकन–

1.1 पाठ्यक्रम के लिए आबंटित कुल अंको का 20 प्रतिशत् निरंतर आंतरिक मूल्यांकन के लिए आबंटित होगा।

1.2 एक पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित कुल अंकों में से 80 प्रतिशत् अंक सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए आबंटित होंगे तथा 20 प्रतिशत् अंक सेमेस्टर के दौरान होने वाले निरंतर आंतरिक मूल्यांकन हेतु आबंटित होंगे।

1.3 प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए होने वाले निरंतर आंतरिक मूल्यांकन के घटक निम्नानुसार होंगे।

Particular	Marks % of Total Marks
Internal Test	10%
Seminar/quiz/group discussion/Assignment/field study or any other similar activity	10%
Total	**20 %**

1.4 दो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगी जो शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार आयोजित की जायेगी। आंतरिक परीक्षा के अंकों के निर्धारण हेतु दो परीक्षाओं में से बेहतर अंक प्राप्त करने वाले परीक्षा के अंकों को समाहित किया जायेगा। परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाएं विद्यार्थियों का प्रदर्शित की जायेगी तथा संबंधित विषय के प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी की शंका समाधान/स्पष्टीकरण किया जायेगा।

1.5 छात्रों के अवलोकन हेतु सैद्धांतिक सेमेस्टर परीक्षा से पहले नोटिस बोर्ड पर आंतरिक मूल्यांकन अंक प्रदर्शित किये जायेंगे।

1.6 निरंतर आतंरिक मूल्यांकन के लिए समय सारिणी एवं अन्य विवरण उच्चशिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार घोषित की जायेगी तथा सेमेस्टर के प्रारंभ में विद्यार्थियों को निरंतर आंतरिक मूल्यांकन संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। इन आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा (टेस्ट) को पूरे सेमेस्टर में समान रूप से आयोजित किया जायेगा।

1.7 प्रत्येक विभाग आंतरिक मूल्यांकन अंकों के मूल्यांकन से जुड़े सभी कार्यों के देख रेख के लिए अपने संकाय के कम से कम तीन सदस्यों वाली एक परीक्षा समिति का गठन करेगा। विभागाध्यक्ष इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

1.8 किसी भी परिस्थिति में एटीकेटी छात्र–छात्राओं के लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

1.9 सैद्धांतिक सेमेस्टर परीक्षा और आंतरिक परीक्षा का पैटर्न महाविद्यालय की अकादमिक काउंसिल द्वारा तय किया जायेगा।

2. परीक्षा और मूल्यांकनः

2.1 प्रत्येक सेमेस्टर के लिए निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रमों के संबंध में मूल्यांकन द्वारा एक उम्मीदवार के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जायेगा। पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगा।

- सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक सेमेस्टर परीक्षा–कुल अंकों का 80 प्रतिशत् अंक
- निरंतर आंतरिक मूल्यांकन–कुल अंकों का 20 प्रतिशत् अंक

2.2 सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक सेमेस्टर परीक्षा उच्चशिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार आयोजित की जायेगी। सेमेस्टर परीक्षा की (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक) की परीक्षा अवधि 03 घंटे की होगी। आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षा की अवधि महाविद्यालय की अकादमिक काउंसिल द्वारा तय की जायेगी।

2.3 प्रत्येक सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के लिए अंकों का न्युनतम प्रतिशत् प्रत्येक पाठ्यक्रम में 40 प्रतिशत् (आंतरिक और बाहरी दोनों अंकों सहित) होगा और साथ ही एक सेमेस्टर में समेकित होगा।

2.4 एक प्रोग्राम में प्रत्येक सेमेस्टर में क्रेडिट की एक निश्चित् संख्या होगी। ग्रेड अंक के साथ क्रेडिट की संख्या होगी।

2.5 सेमेस्टर समाप्ति परिणामों में निम्नलिखित श्रेणियां होंगी–

- उत्तीर्ण अर्थात जो सेमेस्टर परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण हुए है।
- पदोन्नत अर्थात जो सेमेस्टर परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण नहीं हुए हैलेकिन N-2 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके हैं। जहा N एक सेमेस्टर में पाठ्यक्रमों की कुल संख्या हैं।
- उक्त प्रावधानों के अनुसार जिन लोगों को पदोन्नत नहीं किया गया उन्हें DTA Index दिया जायेगा। ऐसे छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र में एक ही सेमेस्टर में शुल्क का भुगतान कर के नियमित मोड में अध्ययन के पाठ्यक्रम में फिर से शामिल होना होगा जो इस अध्यादेश में परिभाषित प्रोग्राम/कोर्स की अधिकतम अवधि को पार नहीं करेगा।

2.6 हांलाकि प्रथम सेमेस्टर का एक छात्र जिसे कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है/परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया गया है प्रोग्राम/कोर्स से बाहर होगा। ऐसे विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व छात्र (Ex Student) के रूप में अगले सत्र में प्रवेश लेना होगा।

3. प्रमोशन का नियमः—

3.1 एक छात्र द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है। प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के तुरंत बाद द्वितीय सेमेस्टर में उसके प्रवेश की पुष्टि की जायेगी और उसे द्वितीय सेमेस्टर में पदोन्नत किया जायेगा। बशर्ते वह प्रथम सेमेस्टर में दो से अधिक बैक पेपर नहीं ले रहा हो।

3.2 एक छात्र अंनतिम रूप से तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है। द्वितीय सेमेस्टर परीक्षाओं के तुरंत बाद तृतीय सेमेस्टर में उसके प्रवेश की पुष्टि की जायेगी और उसे तृतीय सेमेस्टर में पदोन्नत किया जायेगा। बशर्ते वह प्रथम सेमेस्टर में दो से अधिक बैक पेपर नहीं ले रहा हो तथा द्वितीय सेमेस्टर में भी दो बैक पेपर से अधिक न हो।

3.3 एक छात्र अंनतिम रूप से चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है। तृतीय सेमेस्टर परीक्षाओं के तुरंत बाद चतुर्थ सेमेस्टर में उसके प्रवेश की पुष्टि की जायेगी और उसे चतुर्थ सेमेस्टर में पदोन्नत किया जायेगा। बशर्ते वह द्वितीय सेमेस्टर में दो से अधिक बैक पेपर नहीं ले रहा हो तथा तृतीय सेमेस्टर में भी दो बैक पेपर से अधिक न हो। बशर्ते छात्र ने प्रथम सेमेस्टर के सभी पेपर उत्तीर्ण कर लिये हो।

3.4 एक छात्र अंनतिम रूप से पंचम सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है। चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाओं के तुरंत बाद पंचम सेमेस्टर में उस के प्रवेश की पुष्टि की जायेगी और उसे पंचम सेमेस्टर में पदोन्नत किया जायेगा। बशर्ते वह तृतीय सेमेस्टर में दो से अधिक बैक पेपर नहीं ले रहा हो तथा चतुर्थ सेमेस्टर में भी दो बैक पेपर से अधिक न हो। बशर्ते छात्र ने प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के सभी पेपर उत्तीर्ण कर लिये हो।

3.5 एक छात्र अंनतिम रूप से षष्ठम् सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है। पंचम सेमेस्टर परीक्षाओं के तुरंत बाद षष्ठम सेमेस्टर में उसके प्रवेश की पुष्टि की जायेगी और उसे षष्ठम सेमेस्टर में पदोन्नत किया जायेगा। बशर्ते वह चतुर्थ सेमेस्टर में दो से अधिक बैक पेपर नहीं ले रहा हो तथा पंचम सेमेस्टर में भी दो बैक पेपर से अधिक न हो।बशर्ते छात्र ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर के सभी पेपर उत्तीर्ण कर लिये हो।

3.6 सम सेमेस्टर की एटीकेटी परीक्षा सम सेमेस्टर के साथ आयोजित की जायेगी इसी प्रकार विषम सेमेस्टर की एटीकेटी परीक्षा विषम सेमेस्टर के साथ आयोजित की जायेगी।

3.7 इसके अलावा पंचम सेमेस्टर की एक विशेष एटीकेटी परीक्षा छठवें सेमेस्टर के साथ उन छात्रों के लिए आयोजित की जायेगी जिनके पास पंचम सेमेस्टर में दो से अधिक बैक पेपर नहीं है। साथ ही चौथे सेमेस्टर में भी है।

3.8 सेमेस्टर परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद छठवें सेमेस्टर की विशेष एटीकेटी परीक्षा आयोजित की जायेगी। यह परीक्षा सिर्फ उन छात्र–छात्राओं के लिए आयोजित होगी जो केवल छठवें सेमेस्टर में दो से अधिक बैक पेपर नहीं दे रहे हैं।

3.9 एक छात्र सीजीपीए 7.5 या उच्चतर या समकक्ष प्रतिशत् के साथ छठवें सेमेस्टर तक पूर्व के सभी सेमेस्टर को उत्तीर्ण करने के बाद ही सातवें सेमेस्टर (यूजी का चौथा वर्ष) में प्रवेश ले सकता है।

3.10 छात्र अस्थायी रूप से आठवें सेमेस्टर (यूजी का चौथा वर्ष) में प्रवेश लेता है। सातवें सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद उसके प्रवेश की पुष्टि की जायेगी तथा उसे आठवें सेमेस्टर में पदोन्नत किया जायेगा। बशर्ते उसके सातवें सेमेस्टर में दो से अधिक बैक पेपर न हो।

3.11 इसके अलावा सातवें सेमेस्टर में दो बैक पेपर से अधिक नहीं वाले विद्यार्थियों के लिए आठवें सेमेस्टर के साथ सातवें सेमेस्टर की भी एक विशेष एटीकेटी परीक्षा आयोजित की जायेगी।

3.12 सेमेस्टर परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद आठवें सेमेस्टर की एक विशेष एटीकेटी परीक्षा आयोजित की जायेगी। यह परीक्षा सिर्फ उन छात्र–छात्राओं के लिए आयोजित होगी जो केवल सातवें सेमेस्टर में दो से अधिक बैक पेपर नहीं दे रहे हैं।

3.13 एक छात्र को कोर्स के चौथे वर्ष के आरंभ होने से पूर्व चौथे वर्ष के लिए आनर्सकोर्स का चयन करना चाहिए। जिसके लिए संबंधित विभाग विद्यार्थियों को आनर्स विषय चुनने के लिए कहेगा और सीटों की उपलब्धता एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार इस की पुष्टि की जायेगी।

4. परिणाम की तैयारी:

4.1 एक विद्यार्थी जिसने प्रत्येक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम तथा अष्ठम् सेमेस्टर के सभी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण किया हो और कम से कम 4.0 सीजीपीए प्राप्त किया हो। उसे पास घोषित किया जायेगा। निम्नलिखित माप दण्डों के अनुसार परिशिष्ठ 01 की तालिका के अनुसार अध्ययन के प्रत्येक स्तर के कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद डिवीजन को निर्धारित किया जायेगा।

- First Division with distinction - CGPA 27.50
- First Division - CGPA 26.00 < 7.50
- Second Division - CGPA 24.50 < 6.00
- Third Division - CGPA 4.00 < 4.50

CONTROLLER
AUTONOMOUS EXAMINATIONS
GOVT V.Y.T.P.G. AUTO.COLLEGE
DURG (C.G.)

Principal
Govt. V.Y.T.P.G. Autonomous
College, Durg (C.G.)